प्रकरण संख्या 6/2019 सहायक वन संरक्षक व अन्य बनाम माधवलाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपीलान्टगण के विरूद्ध एक अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बीड़ की भागल में आराजी नंबर 629/29 रकबा 12 बिस्वा भूमि स्थित होकर वर्तमान में राणा प्रताप प्रोढ़ समिति के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। राणा प्रताप प्रोढ़ समिति को आराजी नंबर 291 रकबा 12 बिस्वा भूमि वर्ष 1984 में आवंटित हुई थी एवं कब्जा भी समिति को सुपुर्द कर दिया गया था तथा उसके बाद उनके द्वारा चारो ओर दिवार बनायी गयी, किन्तु बाद में उसका नाम परिवर्तित होकर मेवाड़ शिरोमणि महाराणा प्रताप सेवा समिति कुम्भलगढ़ कर दिया गया, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 79/99 है एवं वर्ष 1999 के पश्चात केलवाड़ा में राणा प्रताप प्रोढ़ समिति के नाम से कोई सम्पत्ति नहीं रही, किन्तु राजस्व रेकार्ड में नाम परिवर्तित नहीं होने से विपक्षी संख्या 1 भूमि पर कब्जा करने करना चाहते हैं, जिससे उन्हें रोका जाना आवश्यक है। अतः विपक्षी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 01.05.2018 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षीगा द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 27.03.2019 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से वकील श्री मोहम्मद युसुफ शेख उपस्थित हुए। अपीलान्ट द्वारा दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट संख्या 1 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर राज्य सरकार से आवश्यक निर्देश दिनांक 21–01–2019 को प्राप्त होते ही अपील तैयार करवाकर अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। अखण्डित़ शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की गयी।	

प्रकरण संख्या 6/2019 सहायक वन संरक्षक व अन्य बनाम माधवलाल

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा मुख्य रूप से यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण को जवाब हेतु न्यायोचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि पत्रावली प्रतिवादी के जवाब हेतु दिनांक 03.05.2017 को नियत थी, इसके बाद लगातार 5 पेशियों पर न्यायालय की छाप लगी होकर पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने अंकन किया गया है एवं दिनांक 22.03.2018 को प्रकरण 10.05.2018 को नियत किया गया, किन्तु इससे पूर्व ही बिना प्रतिवादी/अपीलान्टगण को कोई सूचना दिये पत्रावली दिनांक 01.05.2018 को राजस्व लोक अदालत में रखी जाकर बिना प्रतिवादी/अपीलान्टगण का जवाब लिये एवं बिना उन्हें सुने प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी/अपीलान्टगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया गया है, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.05.2018 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादी/अपीलान्टगण का जवाब प्राप्त कर एवं उन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.12.2019 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 6/2019 सहायक वन संरक्षक व अन्य बनाम माधवलाल

प्रकरण संख्या 6/2019 सहायक वन संरक्षक व अन्य बनाम माधवलाल